संख्या-105/2025/848/35-4-2025/35-4099/27/2024

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक : 30 सितम्बर, 2025

विषय: जनपद-गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत जनपद- गोरखपुर के नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत शासनादेश सं0-112/2024/121/35-4-2024/35-4099/27/2024 दिनांक- 08 मार्च, 2024 द्वारा स्वीकृत 89 कार्यों में से कुल 14 कार्यों की अनुमोदित लागत रू0 1737.66 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए हेतु प्रथम किस्त के रूप में रू0 1042.61 लाख की अवमुक्त धनराशि किया गया है।

2- आपके पत्र संख्या- 543/त्व0आ0वि0यो0/2025-26 दिनांक- 15 सितम्बर, 2025 तथा पत्र संख्या- 440/त्व0आ0वि0यो0/2025-26 दिनांक- 22 अगस्त, 2025 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत क्रमशः 8 कार्य एवं 13 कार्यों की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपभोग किया जाना एवं गठित अनुबंध से हुई बचत की धनराशि को घटाने के पश्चात अवशेष धनराशि क्रमशः रू0 153.11 लाख एवं रू0 357.12 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- उक्त के क्रम में 14 कार्यों के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2024 से स्वीकृत एवं गठित अनुबंध से हुई बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए जनपद की मांग के अनुसार देय अवशेष धनराशि रू0 **360.43 लाख (रूपये तीन करोड़ साठ लाख तैंतालिस हजार मात्र)** को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू. लाख में)

क्र0 एवं शासनादेश क्रमांक	कार्य	अनुमोदित लागत	निविदा उपरांत कार्य की कुल लागत	प्रथम किस्त में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6
1 शासनादेश क्रमांक-18	चरगाँवा में मिलेनियम सिटी में राजेश पाण्डेय, जयराम तिवारी व कृष्णमुरारी पाण्डेय से माधो पटेल तथा भगवान दास से अवधेश द्विवेदी के मकान तक आर०सी०सी० नाला व	75.71	58.21	45.43	12.78

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	सी०सी० सड़क का निर्माण।				
2 शासनादेश क्रमांक-24	नकहा के अन्तर्गत गायत्रीपुरम में एम०के० लॉन के सामने बृजेश यादव के मकान तक व अन्य गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	95.31	75.52	57.19	18.33
3 शासनादेश क्रमांक-26	नकहा के अन्तर्गत कौशलपुरी कालोनी में विजय के मकान से रामजानकी नगर मुख्य मार्ग तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	96.07	76.86	57.64	19.22
4 शासनादेश क्रमांक-27	नकहा के अन्तर्गत कौशलपुरी कालोनी में केशरी लाल के मकान से विजय के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	114.46	88.14	68.68	19.46
5 शासनादेश क्रमांक-33	डा0 राजेन्द्र प्रसाद नगर के अन्तर्गत भाटी बिहार कालोनी में कुलदीप श्रीवास्तव के मकान से मुंशी चौहान के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	32.44	24.73	19.46	5.27
6 शासनादेश क्रमांक-35	डा0 राजेन्द्र प्रसाद नगर अन्तर्गत बंजरग कालोनी के विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	130.48	101.77	78.29	23.48
7 शासनादेश क्रमांक-86	शिवाजी नगर में होली फ्लेम एकडमी से संगम पाण्डेय के मकान होते हुये प्रीतम पाण्डेय के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य तथा विनीत सिंह के मकान से अभिषेक के मकान तक आर०सी०सी० नाला व सड़क निर्माण का कार्य।	49.47	48.48	29.68	18.80
8 शासनादेश क्रमांक-88	महुईसुधरपुर में काली मंदिर से फुलवरिया में विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	94.16	92.28	56.51	35.77
9 शासनादेश क्रमांक-8	बाबा गम्भीर नाथ नगर मेडिकल रोड से शदाब व मोनू खान होते हुये मुर्गी फारम तक सी०सी० रोड व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	117.82	91.01	70.69	20.32
10 शासनादेश क्रमांक-17	चरगांवा में बबलू प्रिंटर से रामा पासवान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	178.23	144.17	106.94	37.23
11	चरगाँवा राप्तीनगर फेज-4 स्थित रेल	303.78	246.42	182.27	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश क्रमांक-19	**बिहार प्रथम की विभिन्न गलियों सी.सी. सड़क, आर.सी.सी. नाली व साईड पटरी निर्माण का कार्य।**				**64.15**
12 शासनादेश क्रमांक-29	**नकहा के अन्तर्गत कौशलपुरम कालोनी में शिव शक्ति लॉन से अवस्थी मैरेज हाल तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।**	**102.80**	**79.96**	**61.68**	**18.28**
13 शासनादेश क्रमांक-48	**हरसेवकपुर में यशोदा राय के मकान से पारस प्रजापति के मकान होते हुये मुकेश के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।**	**89.49**	**70.12**	**53.69**	**16.43**
14 शासनादेश क्रमांक-65	**उर्वरक नगर में अंकुर उद्योग से श्रवण के मकान होते हुये स्टीज फैक्ट्री तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।**	**257.44**	**205.37**	**154.46**	**50.91**
	योग	**1737.66**	**1403.04**	**1042.61**	**360.43**

1. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक- 08 मार्च, 2024 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक, डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त, अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2026 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. **वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 के प्रस्तर सं0-2 (10) (ज) के अनुसार यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराये जाने का प्राविधान है।अतः शासनादेश दिनांक- 08 मार्च, 2024 द्वारा पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पर अर्जित ब्याज की धनराशि रु0 9417867.00 को कोषागार में जमा करने के पश्चात चालान की सत्यापित प्रति नियोजन अनुभाग-4 को उपलब्ध किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।साथ ही भविष्य में अर्जित होने वाले ब्याज की धनराशि को भी कोषागार में जमा करने के पश्चात चालान की सत्यापित प्रति नियोजन अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 **3,60,43000/- (रूपये तीन करोङ साठ लाख तैंतालिस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष-5054043370304 शहरी क्षेत्रों में सड़कों के चालू कार्यों हेतु एक एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या-105/2025/848(1)/35-4-2025/35-4099/27/2024,तद्दिनांक |
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त, गोरखपुर मण्डल ।
8. नगर आयुक्त,नगर निगम गोरखपुर।
9. मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर ।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर ।
13. अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम गोरखपुर।
14. संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

www.shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।